:: राष्ट्रीय लोक अदालत ::

<u>खण्डपीठ क्रमांक 34</u>

अजय कुमार चौहान, तृतीय अति. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण नागौद, जिला—सतना (म.प्र.)

(समक्ष—अजय कुमार चौहान)

Reg. No.	**MJC MACC/103/2023**
CNR No	**MP19070036602023**
Filing No.	**581/2023**
Date Of Institution	**28-11-2023**

आशा देवी चौधरी पत्नी अरविन्द चौधरी, उम्र— 29 वर्ष, निवासी— ग्राम खम्हरिया खुर्द, थाना व तहसील नागौद, जिला सतना म0प्र0

.........................**आवेदक**

बनाम

1. उमेश चौधरी पिता लालमन चौधरी, उम्र— 30 वर्ष, निवासी— ग्राम रैगांव, जिला सतना म0प्र0
2. समरजीत साहू पिता काशी साहू, निवासी— ग्राम करसरा सेमरिया, थाना सेमरिया, जिला सतना म0प्र0
3. प्रबंधक, यूनाईटेड इंश्योरेन्स कम्पनी, लिमिटेड, द्वारा मण्डलीय कार्यालय, बस स्टैण्ड के पास होटल, सिद्धांत रीवा रोड सतना, जिला सतना म0प्र0

..................**अनावेदकगण**

—:: **<u>अवार्ड</u>** ::—

(आज दिनांक 14.12.2024 को पारित)

1— आवेदक ने यह दावा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम संशोधित 1994 एवं नियम 220(1) म.प्र. मोटरयान नियम एवं प्रारूप एम.पी.एम.व्ही.आर 75 (कम्प.ए.) के अधीन मोटरयान दुर्घटना के परिणामस्वरूप आई चोटों के संबंध में

क्षतिधन राशि रूपए **5,50,000/—** (पांच लाख पचास हजार रूपए) प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है।

2— आज दिनांक को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आवेदक एवं अनावेदक क्रमांक—3 बीमा कंपनी के मध्य पक्षकारों ने स्वेच्छापूर्वक राजीनामा कर लिया है। अतः राजीनामा के आधार पर निम्नानुसार अवार्ड एवं आदेश पारित किया जाता है कि :—

(1) अनावेदक क्र.—3 बीमा कम्पनी आवेदक को **क्षतिपूर्ति रूपये 50,000 (पचास हजार रूपए)** अवार्ड पारित करने की दिनांक से तीस दिवस में इस अधिकरण के एस.बी.आई. शाखा नागौद के खाता क्रमांक 38396205358 आई.एफ.एस.सी कोड SBIN0001348 में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अदा कर रसीद इस न्यायालय में जमा करेगी। यदि क्षतिपूर्ति राशि उक्त नियत अवधि में अदा नहीं की जाती है तो अनावेदक क्र.—3 बीमा कम्पनी अवार्ड पारित करने की दिनांक से अदायगी दिनांक तक 6.00 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज देगी।

(2) आवेदक द्वारा निवेदन किया गया कि उसे ईलाज के लिए पैसों की आवश्यकता है। अतः संपूर्ण क्षति राशि का भुगतान नगद किया जावे। आवेदक के निवेदन को स्वीकार किया गया।

(3) उक्त राशि जमा होने पर आवेदक को संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान बचत खाते के माध्यम से नगद भुगतान की जाए।

(4) अवार्ड की एक—एक प्रति राजीनामा के पक्षकारों को निःशुल्क प्रदान की जावे।

(5) शेष अनावेदक के विरूद्ध प्रकरण निरस्त किया जाता है।

(6) प्रकरण में यदि कोई अंतरिम क्षतिधन अदा किया गया हो तो उसका समायोजन अवार्ड राशि में से किया जावे।

(7) पक्षकारगण अभिभाषक शुल्क सहित अपना—अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

न्यायिक सदस्य
sd/-
(अजय कुमार चौहान)
राष्ट्रीय लोक अदालत खण्डपीठ क्र.—34 एवं
तृतीय अति.मो.दु.दा.अधि.नागौद, सतना (म.प्र.)

अधिवक्ता सदस्य

(संजीव सिंह)
सदस्य, लोक अदालत खण्डपीठ क्र.—34